

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै-600 002



Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2011-2012

31.03.2012 तक निदेशक मंडल

BOARD OF DIRECTORS AS ON 31.03.2012

श्री एम.नरेंद्र

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

श्री ए के बंसल

कार्यपालक निदेशक

श्री ए.डी.एम.चावली

कार्यपालक निदेशक (दिनांक 28.12.2011 से)

डॉ.आलोक पाण्डे

भारत सरकार के नामिती निदेशक(दिनांक 22 07 2011 से)

श्री एस वी राघवन

भा रि बैंक के नामिती निदेशक

श्री श्रीधर लाल लखोटिया

कर्मकार कर्मचारी निदेशक

श्री के आनन्द कुमार

अधिकारी कर्मचारी निदेशक

श्री निरंजन कुमार अग्रवाल

अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (दिनांक 01.11.2011 से)

श्री सूरज खत्री

अंशकालिक गैर सरकारी

श्री अजित वसंत सरदेसाई

शेयरधारक निदेशक (दिनांक 08.12.2011 से)

प्रोफसर एस. सडगोपन

शेयरधारक निदेशक (दिनांक 08.12.2011 से)

Shri M Narendra

Chairman and Managing Director

Shri A K Bansal

Executive Director

Shri A D M Chavali

Executive Director (from 28.12.2011)

Dr. Alok Pande

GOI Nominee Director (from 22.07.2011)

Shri S V Raghavan

RBI Nominee Director

Shri Sridhar Lal Lakhotia

Workmen Employee Director

Shri K Ananda Kumar

Officer Employee Director

Shri Niranjana Kumar Agarwal

Part time non official Director (from 01.11.2011)

Shri Sooraj Khatri

Part time non-official Director

Shri Ajit Vasant Sardesai

Shareholder Director (from 08.12.2011)

Prof. S Sadagopan

Shareholder Director (from 08.12.2011)

श्री ए पी सिंह

महा प्रबंधक एवं मंडल सचिव (29.02.2012 तक)

श्री जी आर गाँधी

महा प्रबंधक एवं मंडल सचिव (दिनांक 01.03.2012 से)

Shri A P Singh

General Manager & Board Secretary (Up to 29.02.2012)

Shri G R Gandhi

General Manager & Board Secretary (from 01.03.2012)

लेखा परीक्षकगण

1. एम. भास्कर राव ऐण्ड कं., हैदराबाद
2. मित्तल गुप्ता ऐण्ड कं., कानपुर
3. एस.आर.मोहन ऐण्ड कं., हैदराबाद
4. बदरी, मधुसूदन ऐण्ड श्रीनिवासन, बंगलौर
5. बी.त्यागराजन ऐण्ड कंपनी, चेन्नै
6. शंकर ऐण्ड मूर्ति, तिरुवनंतपुरम

AUDITORS

1. M Bhaskara Rao & Co., Hyderabad
2. Mittal Gupta & Co., Kanpur
3. S. R. Mohan & Co., Hyderabad
4. Badari, Madhusudan & Srinivasan, Bangalore
5. B.Thiagarajan & Co., Chennai
6. Sankar & Moorthy, Thiruvananthapuram

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स कैमियो कार्पोरेट सर्विसेस लि.
(यूनिट - आइ ओ बी)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, पहली मंज़िल
न.1, क्लब हाउस रोड
चेन्नै - 600 002
टेलिफोन - 044-28460390 (छह लाइनें),
28460084, 28460395
फैक्स- 044-28460129
ई-मेल : cameo@cameoindia.com

Registrar & Share Transfer agent

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building,
I Floor, No.1 Club House Road
Chennai-600 002
Tel: 044-28460390 (Six Lines),
28460084, 28460395
Fax: 044-28460129
e-mail:cameo@cameoindia.com



वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2011-2012

विषय-वस्तु CONTENTS

विषय-वस्तु Contents	पृष्ठ सं Page No.	विषय-वस्तु Contents	पृष्ठ सं Page No.
अध्यक्ष की डेस्क से	3	कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	84
From the Chairman's desk	3	Auditors' Certificate on Corporate Governance	85
शेयरधारकों को सूचना	7	वार्षिक लेखे	86
Notice to Shareholders	7	Annual Accounts	87
एक झलक में	15	नकद प्रवाह विवरण एवं लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	134
At a Glance	15	Cash Flow Statement & Auditors' Certificate	135
निदेशकों की रिपोर्ट	16	लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट	158
Directors' Report	17	Auditors' Report	159
प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण	24	प्रॉक्सी फार्म	161
Management Discussion and Analysis	25	Proxy Form	162
वर्ष 2011-12 के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स	46	उपस्थिति पर्ची	161
पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट		Attendance Slip	162
Report of the Board of Directors on Corporate	47	ईसीएस अधिदेश फार्म	165
Governance for the Year 2011-12		ECS Mandate Form	166

(यदि इस वार्षिक रिपोर्ट में हिन्दी रूपांतरण के तहत कोई विसंगति पायी जाती है तो अंग्रेजी रूपांतरण सही माना जायेगा)

(in this Annual Report in case of any discrepancy found in Hindi Version, English Version will prevail)

वित्तीय कैलेंडर

Financial Calendar

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक के लिए		For the Financial year 1st April, 2011 to 31st March 2012	
लेखा बंदी की तारीखें	23. 06.2012 (शनिवार) से 29.06.2012 (शुक्रवार) (दोनों दिन शामिल हैं)	Book Closure Dates	23.06.2012 (Saturday) to 29.06.2012 (Friday) (both days inclusive)
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	30.05.2012 से 03.06.2012 तक	Posting of Annual Report	30.05.2012 to 03.06.2012
प्रॉक्सी फार्म की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि	23.06.2012 (शनिवार) 2.00 बजे अपराह्न	Last date for Receipt of Proxy Forms	23.06.2012 (Saturday) 2.00 P.M.
वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख	26.06.2012 (शुक्रवार) सुबह 10.00 बजे	Date of AGM	29.06.2012 (Friday) 10 00 A.M.
लाभांश की घोषणा	29.06.2012 (शुक्रवार)	Declaration of dividend	29.06.2012 (Friday)
लाभांश अदायगी की तारीख	17.07.2012 को या उपरान्त	Dividend Payment Date	On or after 17.07.2012
लाभांश अधिपत्र प्रेषण की संभाव्य तारीख	17.07.2012 को या उसके बाद	Probable Date of Despatch of Dividend Warrants:	On or after 17.07.2012



अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का संदेश

LETTER FROM THE CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

श्री एम.नरेंद्र

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Shri. M.NARENDRA

Chairman and Managing Director

प्रिय शेयरधारको,

वर्ष 2011-12 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट व वित्तीय विवरण आपके हाथ में सौंपते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं वर्ष के दौरान बैंक से संबंधित प्रमुख बातें व निष्पादन सूचकों की जानकारी आपके साथ बाँटना चाहता हूँ।

आर्थिक परिदृश्य

हमें ऐसे वातावरण में काम करना पड़ा है जो त्वरित वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं था। पूरे वर्ष वैश्विक आर्थिक परिदृश्य प्रेरणादायक नहीं रहा। सितंबर 2011 में यूरो जोन में उथल-पुथल और यू.एस. अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले गये। इस उथल-पुथल के प्रति भारतीय अर्थ व्यवस्था में वृद्धि की संभावना व मूल्यों में स्थिरता काफी अच्छी बनी रही।

पिछले दो वर्षों के दौरान जहाँ भारतीय अर्थ व्यवस्था में वृद्धि की दर 8.4% प्रति वर्ष रही वहीं वर्ष 2011-12 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कम यानि 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया। कृषि व सेवा क्षेत्र में बेहतर निष्पादन जारी रहा परंतु कमजोर औद्योगिक वृद्धि, विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र के कारण भारतीय अर्थ व्यवस्था में मंदी देखी गयी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकांशतः थोक मूल्य सूचकांक (होलसेल प्राइज़ इंडेक्स) द्वारा आकलित मुद्रा स्फीति की दर उच्च थी।

यूएसडी 489 बिलियन के मूल्य के आयात के प्रति यूएसडी 370 बिलियन से निर्यात के कारण उत्पन्न व्यापार असंतुलन के कारण विदेशी विनिमय आरक्षितियाँ 31 मार्च 2011 को यूएसडी 3.5 बिलियन से घटकर 31 मार्च 2012 को यूएसडी 294 बिलियन हो गयी यद्यपि निर्यात में वर्ष 2011-12 के दौरान डालर में 20.94% की वृद्धि दर्ज की गयी। उसी अवधि के दौरान आयात वृद्धि 32.15% डालर रही जो कम थी।

वर्ष 2011-12 के दौरान वैश्विक प्रभावों के अनुरूप ईक्विटी बाजार में एक एक कर सुधार के साथ उतार चढ़ाव रहा। बी एस ई सूचकांक 31.03.2011 को 19445.22 के मुकाबले 31.03.2012 को 17404.20 पर आ गया।

Dear Shareholders,

It gives me great pleasure to place the Bank's Annual Report and financial statements for the year 2011-12, in your hands. I would like to share with you, the highlights and performance indicators of the Bank during the year.

Economic Scenario

We had to operate in an environment which was not very conducive for an accelerated growth. The global economic scenario was hardly inspiring throughout the year. In September 2011, the turmoil in Eurozone and the outlook of US economy drew adverse inferences from the international rating agencies. Against this backdrop, the growth prospects and price stability in the Indian economy looked more promising.

After having grown at the rate of 8.4 % in each of the two preceding years, the Indian Economy is estimated to have grown at a lower rate of 6.9% in 2011-12. Agriculture and Services sectors are continuing to perform well but the weakening Industrial growth, particularly the Manufacturing Sector, has caused the slowdown of India's economy. Inflation as measured by the Wholesale Price Index (WPI) was high during most of the current fiscal year.

The trade imbalance arising out of exports of USD 370 billion as against imports of USD 489 billion, depleted the Foreign Exchange Reserves from USD 305 billion as on 31st March 2011 to USD 294 billion as on 31st March 2012. Even though the exports registered a growth of 20.94% in dollar terms, during the year 2011-12, it was outpaced by the import growth of 32.15%, in dollar terms, during the same period.

During 2011-12, equity markets fluctuated with intermittent corrections in line with the global trend. The BSE Sensex had come down from 19445.22 as on 31.03.2011 to 17404.20 as on 31.3.2012.



निष्पादन विशेषताएँ - 2011-12

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक की निष्पादन विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

कारोबार मानदंड

रु. करोड़ों में

	31 मार्च 2011	31 st मार्च 2012	वृद्धि 2011-12	
			राशि	%
वैश्विक कारोबार	2,59,020	3,21,707	62,687	24.20
वैश्विक जमाएँ	1,45,229	1,78,434	33,205	22.86
वैश्विक अग्रिम	1,13,791	1,43,273	29,482	25.91

- ♦ **सीडी अनुपात** 31.03.2011 को 78.35% के मुकाबले 31.03.2012 को 80.29% रहा।
- ♦ **निवल निवेश** 31.03.2012 को रु.55,566 करोड़ बढ़ गया जबकि 31.03.2011 को यह रु. 48,610 करोड़ था।

लाभ

- ♦ **परिचालन लाभ** में वर्ष दर वर्ष आधार पर रु.673 करोड़ (23.54%) की वृद्धि दर्ज की गयी और यह 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 2,861 करोड़ की तुलना में अधिक रहा क्योंकि 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए यह रु. 3,534 करोड़ है।
- ♦ **निवल लाभ** - 31.03.2012 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक का निवल लाभ रु.1,050 करोड़ रहा।
- ♦ **बैंक की कुल आय** - बैंक की कुल आय में 31.03.2012 को समाप्त वर्ष को 46.91% की वृद्धि दर्ज की गयी। दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए रु.13,326.56 करोड़ की तुलना में 31.03.2012 को समाप्त वर्ष को यह रु.19,578.13 करोड़ रहा।
- ♦ **निवल ब्याज आय** में वर्ष 2011-12 के लिए रु.5,016 करोड़ का सुधार हुआ जो कि पिछले वर्ष 2010-11 के लिए रु.4,028 करोड़ की तुलना में 19.20% की वृद्धि है।
- ♦ वर्ष 2011-12 के दौरान **अन्य आय** में बढोत्तरी हुई। वर्ष 2010-11 के रु.1,225 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011-12 के लिए अन्य आय रु.1,681 करोड़ रही जो कि 37.22% की वृद्धि है।
- ♦ **निवल ब्याज मार्जिन** 2011-12 के लिए 2.75% रहा।

शाखा नेटवर्क में विस्तार

- ♦ वर्ष के दौरान आपके बैंक ने 447 शाखाएँ खोली जिससे अपनी अखिल भारतीय उपस्थिति दर्ज की। इन नई शाखाओं में से 73.38% शाखाएँ ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं।
- ♦ आने वाले वर्षों में ये नई शाखाएँ तेजी से कारोबार वृद्धि करेंगी।
- ♦ 10 फरवरी 2012 को तमिलनाडु राज्य में 1000 शाखाओं के साथ बैंक ने एक अन्य कीर्तिमान स्थापित कर लिया। इस प्रकार करामा राज्य में 1000 शाखाओं वाला प्रथम बैंक बन गया।

अन्य विशेषताएँ

- ♦ भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदण्ड 40% के प्रति बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में समायोजित निवल बैंक उधार की प्रतिशतता 31.03.2012 को 41.50% रही।
- ♦ समीक्षाधीन वर्ष के यहरान बैंक ने कृषि उधार फोर्टफोलियो में रु.16,056 करोड़ से बढ़कर रु.19,416 करोड़ (20.93%) की वृद्धि दर्ज की। कृषि अग्रिम और समायोजित निवल बैंक उधार का अनुपात 18 % मानक के प्रति 18.82 % रहा।
- ♦ 31.03.2012 को एसएमई क्षेत्र अग्रिम रु.16,600 करोड़ रहा जो 31.03.2011 तक रु.11,839 करोड़ की तुलना में 40.21 % की वृद्धि है।

Performance Highlights – 2011-12

The performance highlights of the Bank during the year under review:

Business parameters

Amount in Rs. crores

	31 st March 2011	31 st March 2012	Growth 2011-12	
			Amount	%
Global Business	2,59,020	3,21,707	62,687	24.20
Global Deposits	1,45,229	1,78,434	33,205	22.86
Global Advances	1,13,791	1,43,273	29,482	25.91

- ♦ **The CD Ratio** stood at 80.29 % as on 31.3.2012 as against 78.35% as on 31.3.2011.
- ♦ **Net Investments** of the Bank as on 31.3.2012 had increased to Rs. 55,566 crore from Rs. 48,610 crore as on 31.3.2011.

Profits

- ♦ **Operating Profit** registered a y-o-y growth of Rs. 673 crore (23.54%) and was higher at Rs. 3,534 crore for year ended 31.3.2012 as against Rs. 2,861 crore for year ended 31.3.2011.
- ♦ **Net Profit** of the Bank for year ended 31.3.2012 stood at Rs 1,050 crore.
- ♦ **The Bank's total income** recorded a growth of 46.91 % during the year ended 31.3.2012 from Rs. 13,326.56 crore for the year ended 31.3.2011 to Rs. 19,578.13 crore for the year ended 31.3.2012.
- ♦ **Net Interest Income** improved to Rs. 5,016 crore for 2011-12 as compared to Rs. 4,028 crore for 2010-11, registering a growth of 19.20%.
- ♦ The **Other Income** during 2011-12 increased to Rs 1,681 crore from Rs. 1,225 crore for 2010-11, a growth rate of 37.22 %.
- ♦ **Net Interest Margin** stood at 2.75 % for 2011-12.

Branch network expansion

- ♦ During the year, your Bank opened 447 branches increasing its pan-India presence. 73.38% of these new branches are located in Rural and Semi Urban centres.
- ♦ These new branches will provide speedy growth of business in the years ahead.
- ♦ The Bank reached yet another milestone of crossing 1000 branches in the state of Tamil Nadu on 10th February 2012, thus becoming the first Bank to achieve the feat.

Other highlights

- ♦ Priority Sector advances as a percentage to Adjusted Net Bank Credit stood at 41.50 % as on 31.3.2012, as against the RBI norms of 40 %.
- ♦ Agricultural credit portfolio of the Bank registered a growth of Rs. 3,360 crore (20.93 %) from Rs. 16,056 crore to Rs. 19,416 crore in the year under review. The ratio of Agricultural advances to Adjusted Net Bank Credit at 18.82 % exceeded the 18 % norm.
- ♦ SME sector advances stood at Rs. 16,600 crore as on 31.3.2012, an increase of 40.21%, from Rs. 11,839 crore as on 31.3.2011.



- ◆ 31.03.2011 तक प्रति कर्मचारी कारोबार जहाँ रु.10.05 करोड़ रहा, वहीं वह बढ़कर 31.03.2012 तक रु.11.76 करोड़ हो गया।
- ◆ 31.03.2011 तक सकल एनपीए जहाँ 3090 करोड़ रहा वहीं 31.03.2012 तक वह 3920 करोड़ हो गया। प्रतिशतता के संदर्भ में 31.03.2011 तक सकल एनपीए अनुपात 2.72 % था वहीं 31.03.2012 तक वह 2.74 % हो गया (दो बेसिस अंकों की मार्जिनल वृद्धि)।
- ◆ 31.03.2011 तक निवल एनपीए रु.1328 करोड़ था, वहीं 31.03.2012 तक यह रु.1907 करोड़ हो गया। प्रतिशतता के संदर्भ में 31.03.2011 तक निवल एनपीए अनुपात 1.19 % था वहीं 31.03.2012 तक वह 1.35 % हो गया।
- ◆ 31.03.2012 तक बैंक ने 67.68 % का प्रावधान कवरेज अनुपात बनाये रखा।
- ◆ आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2008 से बैंक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज किये हुए हैं, ने नये पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल- II) को अपना लिया है। 31.03.2012 तक बेसल II फ्रेमवर्क के अनुसार बैंक का सीआरएआर लगभग 13.32% है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 9 % की अपेक्षा से अधिक है।

लाभांश

- ◆ वर्ष 2011-12 के लिए निदेशक मंडल ने 45 % के लाभांश की सिफारिश की है।

पैरा बैंकिंग

पैरा बैंकिंग क्षेत्र के तहत शाखाओं में स्वर्ण सिक्कों की बिक्री, बीमा उत्पादों तथा आइटी उन्मुख उत्पादों की मार्केटिंग पर जोर देते हुए सावधिक रूप से अभियान चलाये जाते हैं। इसका उद्देश्य शुल्क आधारित हमारी आय बढ़ाने का है। गैर जीवन बीमा उत्पादों के संवितरण हेतु बैंक ने यूनिवर्सल सोंपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ कापोरिट एजेंसी करार किया है और इसे जारी रखे हुए है। (गैर जीवन बीमा के लिए आपका बैंक एक संयुक्त उद्यमी कंपनी का सदस्य है, जिसके अन्य सदस्य हैं इलाहाबाद बैंक, कर्नाटका बैंक, डाबर इन्वेस्टमेंट कापोरेशन और सोंपो जापान इंश्योरेंस आइएनसी.)।

लाभप्रदता बढ़ाने के लिए उपाय

मार्केट में अपनी हिस्सेदारी को और भी अधिक बढ़ाते हुए आपका बैंक आनेवाले वर्षों में भी अपने अच्छे विकास को जारी रखेगा। कासा अनुपात बढ़ाने और गहन वसूली उपायों के ज़रिए अनर्जक आस्तियों में भारी कमी लाने पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। बेहतर एनआइएम दर्ज करते हुए और लागत नियंत्रण उपायों को अपनाते हुए लाभप्रदता बढ़ाने के लिए सभी समुचित कदम उठाये जा रहे हैं।

विदेशी परिचालन

जहाँ तक हमारे विदेशी परिचालनों की बात है तो विदेशों में हमारी छः पूर्ण रूपेण शाखाएँ हैं - दो हांगकाँग में और एक एक सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका और थाईलैंड में हैं। जहाँ बूनले और सेरंगून, सिंगापुर में विप्रेषण केंद्र कार्यरत हैं वहीं श्रीलंका में एक उप शाखा भी विद्यमान है।

गुआंग जू (चीन), कुआला लंपूर (मलेशिया), हो ची मिन सिटी (वियतनाम) और अल करामा (दुबई) में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय हैं और बैंक इन प्रतिनिधि कार्यालयों को पूर्णरूपेण शाखा का दर्जा प्रदान करने के लिए विनियामक से संबंधित प्रक्रिया जारी रखे हुए है।

हमारे बैंक ने बैंक ऑफ बडौदा और आन्ध्रा बैंक के साथ मलेशिया में "इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद " नामक बैंकिंग अनुषंगी खोलने के लिए एक संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किये हैं। 31.03.2012 तक इस संयुक्त उद्यम में हमारे बैंक की हिस्सेदारी 35 % (एमवाईआर 108.50

- ◆ Business per employee has increased from Rs 10.05 crore as on 31.3.2011 to Rs. 11.76 crore as on 31.3.2012.
- ◆ Gross NPA stood at Rs. 3,920 crore as on 31.3.2012 as against Rs. 3,090 crore as on 31.3.2011 and in percentage terms, the Gross NPA ratio was 2.74 % as on 31.3.2012 as against 2.72 % as on 31.3.2011 (marginal increase of two basis points).
- ◆ Net NPA stood at Rs. 1,907 crore as on 31.3.2012 as against Rs. 1,328 crore as on 31.3.2011. In percentage terms, the Net NPA ratio was 1.35 % as on 31.3.2012 as compared to 1.19 % as on 31.3.2011.
- ◆ The Bank maintained a Provision Coverage Ratio of 67.68 % as on 31.3.2012.
- ◆ The Bank with an international presence has already moved to the revised New Capital Adequacy Framework (BASEL II) from 31.3.2008 in line with RBI guidelines. CRAR as per BASEL-II framework as on 31.3.2012 works out to 13.32% which is well above the requirement of 9% prescribed by RBI.

Dividend

- ◆ A dividend of 45% has been recommended by the Board of Directors for the year 2011-12.

Para Banking

In the area of Para-banking, emphasis is laid on marketing of insurance products, sale of gold coins and IT enabled products through periodic campaigns conducted at the branches. This is to improve our fee based income. The Bank continues with its Corporate Agency arrangement entered into with Universal Sampo General Insurance Company Limited (the Non-Life Insurance Joint Venture Company of your Bank with Allahabad Bank, Karnataka Bank, Dabur Investment Corporation and Sampo Japan Insurance Inc.) for distribution of non-life insurance products.

Steps to improve profitability

Your Bank is poised to continue its good growth in the coming year as well, by further improving its market share. Greater stress is laid on improving the CASA ratio and steep reduction of NPAs through intensive recovery measures. We are also taking appropriate steps to improve profitability by posting better NIM and resorting to cost control measures.

Overseas Operations

As regards our overseas operations, we have six full-fledged overseas branches – two in Hong Kong and one each in Singapore, South Korea, Sri Lanka and Thailand. Remittance Centers function in Boon Lay and Serangoon, Singapore while an Extension Counter is located in Sri Lanka.

The Bank's Representative Offices are located in Guangzhou (China), Kuala Lumpur (Malaysia), Ho Chi Minh City (Vietnam) and Al Karama (Dubai) and Bank is in the process of taking up with Regulator for full-fledged status for these representative offices.

Our Bank has signed a joint venture agreement with Bank of Baroda and Andhra Bank to open a Banking subsidiary in Malaysia in the name of "India International Bank (Malaysia) BHD". Our Bank's share in the Joint-venture is 35% (MYR 108.50 Mio) and as of 31.3.2012, Bank has



मियो) है और बैंक ने प्रति शेयर एमवाइआर 10 के हिसाब से 819035 शेयरों के प्रति समेकित कुल एमवाइआर 8190350 में रु.12.96 करोड़ का निवेश किया है। यह संयुक्त उद्यम बहुत जल्दी अपना कार्य शुरू कर देगा।

प्लैटिनम जयंती

बैंक ने 10 फरवरी 2012 को बैंकिंग के 75 गौरवमयी वर्ष पूरे कर लिये हैं। वर्ष के दौरान देश भर के प्रमुख नगरों में समारोह व कार्यक्रम आयोजित किये गये। चेन्नै और हैदराबाद में प्रतिष्ठित एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्लैटिनम जुबली के इस अवसर पर संस्मरणीय अभिभाषण आयोजित किये गये। कई विशिष्ट प्लैटिनम जयंती कार्यक्रम भी आयोजित किये गये जिनमें लब्ध प्रतिष्ठ पेशेवर, चुनिंदा स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधिगण, कारोबार प्रतिसंवादीगण और फॉर्म स्कूलों के प्रतिनिधिगण का अभिनंदन किया गया। नये उत्पादों की शुरूआत की गयी। 4 से 6 नवंबर 2011 के दौरान वार्षिक बैंकर्स कान्फरेंस (बैंकॉन 2011) आयोजित किया गया जिसमें बैंकिंग, उद्योग, व्यापार और वित्तीय जगत के कई समकालीन अग्रजनों ने अपने विचार प्रस्तुत किये।

आइओबी द्वारा प्राप्त पुरस्कार

आपके बैंक ने अपने उत्कृष्ट निष्पादन के लिए निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किये:

- वर्ष 2010-11 के लिए एमएसई उधार में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत बैंक को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ और यह पुरस्कार भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा प्रदान किया गया।
- सूक्ष्म ऋण प्रवर्ग के तहत डन व ब्रैडस्ट्रीट तथा पोलारिस साफ्टवेयर बैंकिंग अवार्ड्स 2011 में बैंक को सर्वोत्तम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होने का पुरस्कार मिला।
- बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका वाणी के लिए भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया और यह पुरस्कार भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा प्रदान किया गया।
- नीलगिरी जनजाति को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाने के लिए स्कांच अवार्ड 2012 प्राप्त हुआ।
- भारतीय एसएमई चेंबर द्वारा सर्वोत्तम बैंकर 2012 का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- कार्पोरेट सामाजिक बाध्यता के लिए स्कांच चैलेंजर अवार्ड 2012 प्राप्त हुआ।

हमारी प्रतिबद्धता

शाखाओं का व्यापक नेटवर्क, सक्षम ग्राहक सेवा और समर्पित मानव संसाधन हमारे बैंक के सुदृढ़ आधार हैं। ये आधार न केवल वर्तमान संबंधों को बनाये रखने में मदद करेंगे बल्कि नये अवसर भी प्रदान करेंगे। उद्योग में मौजूद चुनौतियाँ और स्पर्धा का सामना नवोन्मेषी कार्यनीतियों के जरिए किया जायेगा ताकि हम बाजार में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकें और विस्तारित कर सकें तथा मूल्य संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को अमल में लाते हुए अपने ग्राहकों, शेयरधारकों और कर्मचारियों को प्रतिलाभ दिला सकें।

आभारोक्ति

हमारे सभी हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और वर्ष दर वर्ष बेहतर नतीजे प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा हमें प्रदत्त मूल्यवान समर्थन तथा प्रबंधन में उनके विश्वास से हमें अप्रतिम प्रेरणा मिलेगी। आपकी प्रतिबद्धता और सदृच्छा का मैं ऋणी हूँ।

भवदीय

एम.नरेंद्र

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

invested Rs 12.96 Crores towards 819035 shares of MYR 10 each aggregating to MYR 8190350. The Joint Venture is expected to commence operations shortly.

Platinum Jubilee

The Bank completed its 75 glorious years of banking on 10th February 2012. During the year-long celebrations, functions were held in major cities of the country. Four Platinum Jubilee Commemorative lectures by distinguished personalities were organised in Chennai and Hyderabad. Special Platinum Jubilee celebration functions were held in which eminent professionals, representatives from select Self Help Groups, Business Correspondents and Farm Schools were felicitated. New products were launched. The Bank organised the annual Bankers Conference (BANCON 2011) during 4th to 6th November 2011, in which contemporary leaders in the fields of banking, industry, trade and finance presented their views.

Awards won by IOB

Your Bank has won the following awards for its excellent performance

- The First Prize for National Award for Excellence in MSE Lending during the year 2010-11 and the award was given by H.E. the President of India
- The Best Public Sector Bank under Micro Credit category for Dun & Bradstreet and Polaris Software Banking Awards 2011
- The First Prize by Government of India for the Hindi House Journal of the Bank 'Vani' and the award was given by H.E. the President of India
- Skoch Award 2012 for Financial Inclusion of Nilgiri Tribals
- The Best Banker Award 2012 given by SME Chamber of India
- Skoch Challenger Award 2012 for Corporate Social Responsibility

Our Commitment

The well spread network of branches, efficient customer service and the committed human resources, are the strong points of the Bank. These strengths would open up new opportunities apart from building the existing relationships. The challenges and competition in the Industry would be responded with strategic innovations so as to expand our market position and deliver our commitment to optimise value and returns to our customers, shareholders and employees.

Acknowledgments

The valuable support of our shareholders and the trust they reposed on the management will inspire us to turn out better results year after year to meet the aspirations of all our stakeholders. I am indebted for your commitment and goodwill.

Yours sincerely,

M. NARENDRA

Chairman and Managing Director



शेयरधारकों को सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार 29 जून, 2012 को पूर्वाह्न 10.00 बजे नारद गान सभा, (सद्गुरु ज्ञानानंद हाल), 314, टीटीके रोड, चेन्नै - 600 018 में निम्नलिखित कार्यों हेतु आयोजित की जाएगी।

1. 31 मार्च, 2012 की स्थिति अनुसार बैंक के तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते, लेखा अवधि के दौरान बैंक के क्रियाकलापों और कार्य-व्यवहार पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन और स्वीकार करना।
2. वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए लाभांश घोषित करना।
3. आगे शेयरों को जारी करने के लिए प्राधिकृत करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि सही समझा गया तो संशोधन रहित या फिर संशोधन सहित उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु:

“संकल्प किया गया है कि बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण व उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआइ), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और / या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंजूरीयों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिस पर बैंक का निदेशक मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2009 (आई सी डी आर विनियम)/दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशानिर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित हैं, और जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर निर्धारित हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टिंग करार की शर्त पर वे आधारित हैं, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्वारा सहमति बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे “बोर्ड” कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में ईक्विटी/वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित)/प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय हैं, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमन किया जाएगा - से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और / या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज /या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर होगा और किसी भी हालत में कुल शेयर 40,17,95,702 (चालीस करोड़ सत्रह लाख पंचानवे हजार सात सौ दो) की संख्या और रु. 401,79,57,020/- (रुपये चार सौ एक करोड़ उनासी लाख सत्तावन

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the Twelfth Annual General Meeting of the shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on Friday, the 29th June 2012 at 10.00 A.M. at Narada Gana Sabha, (Sathguru Gnananda Hall) 314 TTK Road, Chennai 600 018, to transact the following business :

1. To discuss, approve and adopt the audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2012, Profit and Loss account of the Bank for the year ended 31st March 2012, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the financial year 2011-12.
3. To Authorise further Issue of shares:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following Resolution as a Special Resolution.

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI(Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity / preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares whether perpetual or redeemable or irredeemable and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of Rs.10 each and in any case not exceeding 40,17,95,702 (Forty Crore Seventeen Lac Ninety Five Thousand Seven Hundred and Two) and aggregating to not more than Rs.401,79,57,020/- (Rupees Four Hundred and One Crore Seventy Nine Lac Fifty Seven Thousand twenty Only) which together with the existing Paid-up Equity share capital of Rs 797.00 crore amounts to Rs.1198.80 crore within the total authorized



हजार और बीस मात्र) की राशि का अधिगमन नहीं होगा व यह राशि रु.797.00 करोड़ की विद्यमान प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी के साथ रु.3000 करोड़ की बैंक की कुल प्राधिकृत पूंजी में रु.1198.80 करोड़ की होगी, जो कि बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, बढ़ाई गई प्राधिकृत पूंजी की हद तक, निर्धारित सीलिंग है, वह भी इस तरह कि केन्द्रीय सरकार का बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में धारण सभी समय 51% से कम नहीं रहेगा, चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर, जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआइबी) जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पूंजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी/वरीयता शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।”

”इस अनुक्रम में यह भी संकल्प किया गया कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम, राइट निर्गम, वरीयता निर्गम के जरिए और / या निजी स्थान के आधार पर अति आबंटन विकल्प सहित या विकल्प रहित किया जाएगा और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970, सेबी (“आइसीडीआर विनियमन”) और आरबीआई, सेबी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों तथा लागू अनुसार किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धति में, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो।”

”यह भी संकल्प किया गया कि अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहाँ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तों पर होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आइसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों अथवा सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा।”

”आगे यह भी संकल्प किया गया कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टिंग करार के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण व उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयरों और बैठकों) के विनियमन 2003 के प्रावधानों, आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनियम अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनियम प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमन 2000 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति व प्रवर्तन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका “समुचित प्राधिकारीगण” के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और / या मंजूरीयों, की शर्त पर और उन शर्तों पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति और / या मंजूरी प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये

capital of the bank Rs.3000 crore, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity / preference shares / securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank”.

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit”.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations”.

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while



जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत निश्चित करता है, ईक्विटी शेयरों या किन्हीं भी प्रतिभूतियों को एक या अधिक भागों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोड़कर जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते हैं या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार का धारण बैंक की ईक्विटी पूंजी में 51% से कम न हो और यह स्थानन या आबंटन क्यूआइबीयों (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII में परिभाषित अनुसार) को, योग्यतागत संस्थात्मक स्थानन होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के तहत प्रावधानित किया गया है और जो स्थानन दस्तावेज और/या ऐसे अन्य दस्तावेजों / लेखनों / परिपत्रों / ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर, जो कि आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान हैं, निश्चित किये गये हैं, बशर्ते इस प्रकार निर्गमित ईक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो ।”

”इस अनुक्रम में यह भी संकल्प किया गया कि आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के क्रम में योग्यतागत संस्थात्मक स्थानन के मामले में प्रतिभूतियों का आबंटन आइसीडीआर विनियमनों के अध्याय VIII की परिभाषा के भीतर ही योग्यतागत संस्थागत खरीददारों को किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इन प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तिथि से 12 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा ।”

यह भी संकल्प किया गया कि क्यूआइपी निर्गम के मामले में प्रतिभूतियों के शुरुआती मूल्य के निर्धारण की संबंधित तिथि को आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार रखा जाएगा ।”

यह भी संकल्प किया गया कि बोर्ड के पास भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के शेयर लिस्ट किये गये हैं, ऐसे अन्य किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और निर्गमों से संबंधित मंजूरीयों, आबंटन और तदनुसार लिस्टिंग , जैसा कि बोर्ड द्वारा सहमत हो, वांछित अथवा निर्देशित अनुसार प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार व अधिकार होगा ।”

इस अनुक्रम यह मे संकल्प किया गया कि अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये ईक्विटी शेयरों/ वरीयता शेयरों/प्रतिभूतियों, यदि कोई हों, को आबंटन और निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा ।”

यह भी संकल्प किया गया कि कथित नये ईक्विटी शेयर इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयरों और बैठकों) के विनियमन 2003 के संशोधित रूप में अनुसार जारी किये जाएंगे तथा ये शेयर सभी दृष्टि से ऐसी घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश , यदि कोई हो, सहित बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों के समरूप होंगे ।

”ईक्विटी शेयरों/अधिमान्य शेयरों/प्रतिभूतियों के आबंटन या निर्गम हेतु प्रभाव देने के लिए सार्वजनिक निर्गम के निबंधनों का निर्धारण करने, निवेशकों वह प्रवर्ग सहित जिन्हें प्रतिभूतियाँ आबंटित की जानेवाली हैं, हर बार आबंटित किए जानेवाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि आदि मंडल के विवेकाधिकार में जैसे उचित समझें उन कार्यों, मामलों और विषयों को करने और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और करारों को निष्पादित करने जिन्हें वे आवश्यक, उचित या वांछनीय समझें और सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम राशि की उपयोगिता के संबंध में कोई

granting any such approval, consent, permission and / or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement, as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at the time, provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations”.

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution”.

“RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations”.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board”.

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / preference shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act”.

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration”.

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / preference shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of



संदेह या प्रश्न हो तो उन्हें सुलझाने या अनुदेश देने या निदेश देने हेतु तथा निबंधनों व शर्तों के संबंध में किए जानेवाले ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, बदलावों, जोड़, विलोपनों आदि पर बैंक के हित हेतु अपने विवेकाधिकार में कार्यवाई करने, जिसके लिए बैंक और मंडल को दिए गए सभी या किसी अधिकारों के अनुसार सदस्यों से और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और इस संकल्प पर मंडल द्वारा कार्य करने हेतु मंडल को प्राधिकृत किए जाने और एतद्वारा प्राधिकृत करने का भी संकल्प किया गया”।

“ईक्विटी/अधिमाम्य शेरों/प्रतिभूतियों के ऐसे निर्गम से संबंधित अग्रणी प्रबंधकों/बैंकरो/अधोलेखकों/डिपॉजिटरीस और ऐसे सभी अधिकरणों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं निष्पादित करने और ऐसी सभी संस्थाओं और अधिकरणों को कमीशन, दलाली, शुल्क के संबंध में ऐसे अधिकरणों के साथ ऐसे सभी प्रबंधन, करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए मंडल को प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत करने का भी संकल्प किया गया”।

“उपर्युक्त विषय को प्रभावी करने के उद्देश्य से अग्रणी प्रबंधकों,हामीदारों, सलाहकारों और/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके,निर्गम(ि) के निबंधनों व प्रकार निर्धारित करने, निवेशकों के संवर्ग सहित जिन्हें शेयर/प्रतिभूति आबंटित किए जाने वाले हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग को आबंटित किए जानेवाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि प्रीमियम हो तो वह भी शामिल है), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/प्रतिभूतियों का परिवर्तन/वॉरंट बदलना/प्रतिभूतियों की परिपक्वता राशि लेना, ब्याज दर, परिपक्वता आदि, प्रतिभूतियों का परिवर्तन या परिपक्वता या रद्दगी पर ईक्विटी शेयरों/अधिमाम्य शेरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य,प्रतिभूतियों का निर्गम/परिवर्तन पर प्रीमियम/बट्टा, ब्याज दर,परिवर्तन की अवधि, लेखा बंदी आदि संबंधित या विविध मामलों हेतु रिकार्ड तारीख का नियतन करने, भारत में और/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने,जैसे मंडल उचित समझे,के लिए मंडल को प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत करने का भी संकल्प किया गया ”।

“शेयर/प्रतिभूति जिनको सबस्क्राइब नहीं किया गया है, उन्हें मंडल अपने विवेकाधिकार में जैसे उचित समझे और कानून द्वारा जैसे अनुमत है, उसके अनुसार निपटाने का भी संकल्प किया गया ”।

“उपर्युक्त संकल्प को प्रभावित करने के उद्देश्य में,मंडल अपने विवेकाधिकार में जैसे उचित समझे वैसे उन कार्यों, मामलों और विषयों को करे और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और करारों को निष्पादित करने जिन्हें वह आवश्यक,उचित या वांछनीय समझे और शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में कोई संदेह, कठिनाई या प्रश्न हो तो संबंधित कार्यों, विषयों को समाप्त या निष्पादित करने के लिए आगे, बिना शेयरधारकों की सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के, और ऐसा समझकर कि संकल्प के प्राधिकार के रूप में शेयरधारक ने अपना अनुमोदन दिया है, इनके निपटान के लिए मंडल को प्राधिकृत किए जाने और एतद्वारा प्राधिकृत करने का भी संकल्प किया गया ”।

‘उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावित करने के उद्देश्य से बोर्ड को दिए गए सभी अधिकारों या किसी भी अधिकार को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक(ि) को प्रदान करने के लिए मंडल को प्राधिकृत किए जाने और एतद्वारा प्राधिकृत करने का भी संकल्प किया गया ”।

निदेशक मंडल की ओर से

(एम नरेन्द्र)

चेन्नै

05 05 2012

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board”.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies”.

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares / securities are to be allotted, number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities / exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares / preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit”.

“RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law”.

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution”.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or to the Executive Director(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

(M NARENDRA)

Chennai

05.05.2012

Chairman and Managing Director